कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर (छ0ग0)

//परिशोधित आदेश//

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1850/2020 बिलासपुर, दिनांक 20 मई, 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के संदर्भ में MoHFW द्वारा बिलासपुर जिला ग्रीन जोन की श्रेणी में चिन्हित होने के कारण कार्यालयीन आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1705/2020 बिलासपुर दिनांक– 03.05.2020 की कडिका–4 में उल्लेखित, कंडिका–1 के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बिलासपुर जिले में समस्त गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। कार्यालयीन आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1707/2020 बिलासपुर दिनांक– 04/05/2020 के द्वारा ग्रीन जोन में संचालित गतिविधियों में पान ठेले में विकय किये जाने वाले पदार्थ तथा नाई, सैलून, स्पा/ब्यूटीपार्लर आदि सेवा के संचालन की अनुमति विहित शर्तो के अधीन शामिल की गई है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 17.05.2020 के अनुक्रम में कार्यालयीन उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब बिलासपुर जिले के अन्तर्गत पान दुकान एवं सैलून, नाई दुकान, स्पा/ब्यूटीपार्लर को प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सामान्य निर्देशों के पालन करते हुए (मास्क पहनने के निर्देश) में संचालन करने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

A सैलून, नाई दुकान, स्पा/ब्यूटीपार्लर संचालन हेतु शर्ते–

(1) दुकान में सेनेटाईजर/हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

(2) सैलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के शेविंग/बाल कटिंग के पश्चात कैंची, उस्तरा, शेविंग ब्रश कंघी एवं कुर्सी को सेनिटाईज करना अनिवार्य होगा।

(3) दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।

(4) दुकान में प्रतीक्षा हेतु पृथक से कुर्सी नहीं रखी जावेगी।

(5) ब्लेड जैसी वस्तु जिसका उपयोग एक ही व्यक्ति पर किया जाना चाहिए, अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अर्थात किसी व्यक्ति पर उपयोग की गई संक्रमित वस्तु या उसी सामग्री को दुबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अतः डिपोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाना होगा।

(6) नाई दुकान, सैलून, स्पा/ब्यूटीपार्लर आदि सेवा के संचालक द्वारा, सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी जैसे– नाम, पता, मोबाईल नंबर का ब्यौरा रजिस्टर संधारित कर अनिवार्यतः रखा जायेगा तथा संक्रमण रोकने के लिए सुरक्षात्मक समस्त उपयों व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

(7) नाई दुकान, सैलून, स्पा/ब्यूटीपार्लर आदि दुकानों में सेवा के लिए प्रवेश हेतु ग्राहक को स्वयं का टावेल/कपड़ा साथ लाना अनिवार्य होगा।

(8) कोरोना वायरस कोविड–19 से बचाव हेतु आवश्यक सूचना/जानकारी संबंधी पोस्टर/ पाम्पलेट /फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति के लिए संचालक जवाबदार होगा।

B पान दुकान, पान ठेला संचालन हेतु शर्ते–

(1) दुकान में सेनेटाईजर/ हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

(2) पान ठेले/दुकान में विकय किए जाने वाले पदार्थ जैसे– सिगरेट, गुडाखु, गुटखा, तम्बाकु, पाउच, बीडी आदि का उपयोग/उपभोग सार्वजनिक स्थान/पान ठेले में किये जाने पर प्रतिबंध रहेगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विकय ही किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(3) कोरोना वायरस कोविड–19 से बचाव हेतु आवश्यक सूचना / जानकारी संबंधी पोस्टर / पाम्प्लेट / फ्लेक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

(5) किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति के लिए दुकान संचालक जवाबदार होगा।

कार्यालयीन आदेश कमांक / रीडर–जि0दण्डा0 / 1750 / 2020 बिलासपुर दिनांक– 08 मई, 2020 के अनुसार सम्पूर्ण बिलासपुर जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में, प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 07:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक सम्पूर्ण बाजार / दुकानें यथा सम्पूर्ण गतिविधियां, प्रतिबंध से बाहर रखे प्रतिष्ठान / सेवाओं को छोड़कर पूर्ववत बंद रखी जायेंगी अर्थात शनिवार तथा रविवार को पूर्ववत पूर्ण लाकडाउन रहेगा।

पूर्व में अप्रभावित जिले / क्षेत्र के हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

आदेश का उल्लंघन किये जाने पर **संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।**

20/5/20
(डॉ0 संजय कुमार अलंग)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ)

पृ0क्र0 / रीडर–जि0दण्डा / 1850-A / 2020 बिलासपुर, दिनांक 20 मई, 2020

COLLECTOR ★ BILASPUR (CH

प्रतिलिपि–

1– पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी .... जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6– सर्व थाना प्रभारी,..जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ, **उक्त आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 188 के तहत संबंधित के विरूद्व विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित करें। वे इस हेतु प्राधिकृत प्राधिकार होंगे।**

7– उप संचालक जनसम्पर्क बिलासपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

8– सर्व संबंधित .... को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

जिला दण्डाधिकारी
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर, (छ0ग0)
बिलासपुर (छत्तीसगढ)

Scanned with CamScanner